



**भारतीय स्टेट बैंक**  
केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई  
(फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ईमेल: crpd@sbi.co.in)

## सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी की संविदा आधार पर नियुक्ति

विज्ञापन सं. CRPD/RS/2023-24/12

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 26.06.2023 से 10.07.2023 तक

भारतीय स्टेट बैंक निम्नलिखित पद पर स्टेट बैंक और पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों) के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले, वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि पर उक्त पद के लिए दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- उम्मीदवारों को सभी अपेक्षित दस्तावेज़ (नियतकार्य का ब्यौरा, पहचान का प्रमाण, आयु का प्रमाण, अनुभव आदि), अवश्य अपलोड करें ऐसा न करने पर शॉर्टलिस्टिंग/ साक्षात्कार के लिए, उनके आवेदन/ उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार की उम्मीदवारी/शॉर्टलिस्टिंग अनंतिम होगी और उम्मीदवार के साक्षात्कार (यदि बुलाया जाए तो) के लिए रिपोर्ट किए जाने पर संपूर्ण ब्यौरे/दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों के साथ संतोषजनक सत्यापन किए जाने के अधीन होगा।
- यदि किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और यदि वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार स्वयं अपने खर्च पर उपस्थित होंगे।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> को नियमित रूप से, विवरणों एवं नई जानकारी (शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों की सूची सहित) हेतु देखें। कॉल (पत्र/सूचना), जहां आवश्यक हो, केवल ईमेल द्वारा भेजा जाएगा (कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी)।
- सभी संशोधन/शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) केवल बैंक की करियर वेबसाइटों पर ही अपलोड किए जाएंगे।
- यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ बिंदु पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।
- इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ न भेजें।

### क. पद/रिक्तियां/तैनाती स्थान/पात्रता/वेतनमान इत्यादि का विवरण:

क्रं.	मापदंड	विवरण
1	पद का नाम	केस प्रबंधक – एमएल/सीएफटी
2	विभाग	एमएल/सीएफटी कक्ष ,
3	रिक्त स्थानों की संख्या	04 (सामान्य 02, अन्य पिछड़ी जाति 01, अनुसूचित जाति 01)
4	नियुक्ति का स्थान	जयपुर या हैदराबाद
5	शैक्षणिक योग्यता/अपेक्षित अनुभव –	<p><b>शैक्षणिक योग्यता / अपेक्षित अनुभव-</b></p> <p><b>शिक्षा :</b> चूंकि, आवेदक एसबीआई और पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, इसलिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><b>अनुभव (यदि कोई हो):</b> ऐसे पूर्व अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिन्हें बैंक में सेवाकाल के दौरान परिचालन संबंधी कार्य या लेखापरीक्षा/ अनुपालन से संबद्ध कार्य का अनुभव हो।</p>
6	नई नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड 26.06.2023 तक)	<p>i. अधिकारी 60 वर्ष की आयु होने पर ही बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहिए। स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त/ त्यागपत्र/ निलंबित या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही बैंक छोड़ने वाले अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, दिनांक 07.10.2015 के परिपत्र संख्या CDO/P&amp;HRD-PM/58/2015-16 और 05.05.2017 के परिपत्र सं. CDO/P&amp;HRD-PM/12/ 2017-18 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को 58 वर्ष की आयु और सेवा/ पेंशनयोग्य सेवा के 30 वर्ष (दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए) पूरे करने वाले अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर बैंक में नियुक्ति/ सूचीबद्धता के लिए पात्र होंगे।</p> <p>ii. संविदा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। तथापि संविदा को अधिकतम 3 वर्ष तक या सेवानिवृत्त अधिकारी की 65 वर्ष की आयु होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास रहेगा, यह अधिकारी की तिमाही समीक्षा के अधीन होगा। विज्ञापन की तारीख अर्थात् 26.06.2023 को अधिकतम आयु 63 वर्ष होनी चाहिए।</p> <p>iii. अधिकारी के कार्यनिष्ठादान का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>iv. अधिकारी के पास उसे सौंपे जाने वाले कार्य के लिए अपेक्षित उपयुक्त योग्यता/डोमेन की विशेषज्ञता होनी चाहिए।</p> <p>v. सेवाकाल के दौरान अधिकारी/कर्मचारी की इमानदारी पिछले कार्यकाल के दौरान संदिधि नहीं होनी चाहिए।</p> <p>vi. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान उस पर कोई जुर्माना/ पैनलटी (सेंश्योर या उच्चतर) नहीं लगाई गई हो।</p> <p>vii. कर्मचारी के विरुद्ध सीबीआई या अन्य किसी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के मामले लंबित नहीं होने चाहिए।</p> <p>viii. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिए।</p> <p>ix. बैंक में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर होगी और इसे पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सेवा में विस्तार नहीं माना जाएगा।</p> <p>x. स्टेट बैंक और पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों के बेदाग सेवा रिकॉर्ड वाले अधिकारी जो एमएमजीएस-II/ एमएमजीएस-III के रूप में सेवानिवृत्त हुए हों।</p> <p>xi. नियुक्ति अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी (नियुक्त सेवानिवृत्ति) किसी अन्य संगठन से कोई कार्य स्वीकार नहीं करेंगे।</p> <p>xii. सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्ति अवधि के दौरान किसी प्रशासनिक/ वित्तीय अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।</p> <p>xiii. संविदा के अंतर्गत वे किसी भी चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>xiv. अधिमानत: जयपुर/हैदराबाद के स्थानीय निवासी हों।</p> <p>xv. ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है।</p> <p>xvi. ऐसे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन 'क्रीमी लेयर' से आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें आवेदन में अपनी श्रेणी 'सामान्य' के रूप में दर्शानी चाहिए।</p> <p>xvii. अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।</p> <p>xviii. ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा जमा करवानी होगी कि वह आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर से नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर 'नॉन क्रीमी लेयर' अनुच्छेद वाला ओबीसी प्रमाण-पत्र जो 01.04.2023 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया हो, जमा करना होगा।</p> <p>xix. इंगित अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।</p> <p>xx. इंगित अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।</p>

क्रं.	मापदंड	विवरण
7	सेवा नियम	नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमों या अन्य किसी सेवा शर्त के अधीन नहीं होंगे लेकिन नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तों से बाध्य होंगे।
8	पीएफ/बोनस/पैशन/ग्रेच्युटी/बकाया	संविदा अवधि को सेवानिवृत्त लाभों/ पीएफ/ बोनस/ ग्रेच्युटी आदि के लिए सेवा नहीं माना जाएगा।
9	संविदा की समाप्ति	i. किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन की सूचना या इसके बदले एक माह की कुल परिलिंग्डियों के भुगतान पर संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा। ii. इसके अलावा, यदि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना 7 दिन से अधिक अवधि के लिए ऐसा पूर्व अधिकारी कार्य से अनुपस्थित रहता है तो बैंक के पास तत्काल प्रभाव की सूचना देकर 30 दिन की परिलिंग्डियों की वसूली के साथ संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10	संविदा पर नियुक्ति के लिए करार का निष्पादन	कार्य शुरू करने से पहले सेवानिवृत्त कार्मिकों को स्टाम्प पर सेवा स्तर करार (एसएलए) निष्पादित करना होगा। बैंक में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान यह संभावना है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय स्वरूप की जानकारी हासिल हो जाए। वे उनकी कार्य अवधि के दौरान या उसके बाद उनके द्वारा प्राप्त जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे जो यह जानने/ लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है। प्रयोक्ता विभाग एक प्रणाली कार्यान्वित कर बैंक के ग्राहकों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और आस्तियों के संबंध में जानकारी की गोपनीयता को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेगा।
11	आयकर/टीडीएस	पारिश्रमिक पर आय कर या अन्य कोई देयता आयकर नियमों या अन्य किसी नियमों में वर्णित समय समय पर प्रचलित दर (रों) के अनुसार काटा जाएगा।
12	नई नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया	चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। <b>शॉर्टलिस्टिंग:</b> न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक द्वारा गठित शॉर्टलिस्टिंग समिति शॉर्टलिस्टिंग मानदंड निर्धारित करेगी और उसके बाद बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। <b>साक्षात्कार:</b> साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। <b>मेरिट सूची:</b> अंतिम चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, बशर्ते कि उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करें। यदि एक से अधिक उम्मीदवार एक समान निर्दिष्ट अंक हासिल करते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट रैंक प्रदान की जाएगी। नई नियुक्ति के लिए: i. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा और इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। ii. साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों कोई टीए/डीए अदा नहीं किया जाएगा। iii. चुने गए उम्मीदवारों को स्टाम्पिट वचनपत्र और एसएलए प्रस्तुत करने के बाद एमएल/सीएफटी कक्ष, जयपुर/हैदराबाद में रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त समझा जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13	छुट्टियों की संख्या	सेवानिवृत्त अधिकारी एक वर्ष की नियुक्ति के दौरान 30 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होंगे जिसे बैंक/ उस प्राधिकारी के अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि के दौरान ले सकेंगे जिसको वे रिपोर्ट करेंगे। छुट्टी की गणना के लिए बीच में पड़ने वाले रविवार/ छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाएगा। बैंक के पास प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के मद्देनजर छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के विवेकाधिकार का पूर्ण अधिकार होगा। नियुक्ति की अवधि के दौरान न ली गई छुट्टियों प्रायः समाप्त हो जाएंगी। तथापि, यदि छुट्टी प्रशासनिक आधार पर अस्वीकार की जाती है और संविदा अवधि में नहीं ली जाती है तो इसका मौद्रिक क्षतिपूर्ति पैकेज घटक की दर से संविदा अवधि समाप्त होने पर नकदीकरण किया जा सकता है। एक वर्ष से कम या अधिक की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी।
14	नियुक्ति की अवधि	संविदा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। तथापि संविदा को अधिकतम 3 वर्ष तक या सेवानिवृत्त अधिकारी की 65 वर्ष की आयु होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास रहेगा, यह अधिकारी की तिमाही समीक्षा के अधीन होगा। तथापि, एमएल/सीएफटी कक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उत्पादकता के कुछ मापदंडों के आधार पर समीक्षा अवधि के दौरान एमएल/सीएफटी कक्ष उनके कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखेगा। यदि बैंक यह पाता है कि पूर्व अधिकारी की सेवाएं सक्षम प्राधिकारी के संतोष के अनुरूप नहीं हैं तो बैंक पूर्व अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है और बिना कोई कारण बताए यह निर्णय अंतिम होगा।
15	पारिश्रमिक	पारिश्रमिक मासिक आधार पर अदा किया जाएगा केस प्रबंधक के लिए - माह की समाप्ति पर एक मुश्त 40,000 रुपए की राशि क) उपर्युक्त मुआवजा राशि परिलिंग्डियों के बिना और पैशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। ख) बैंक द्वारा इस अवधि के दौरान न तो कोई आवास/फर्मार्चर प्रदान किया जाएगा और न ही कोई अन्य लाभ/अनुलाभ/भविष्य निधि/पैशन निधि और ग्रेच्युटी की सदस्यता प्रदान की जाएगी तथा न ही कोई अन्य दावा स्वीकार किया जाएगा। ग) लागू मौजूदा आयकर नियमों में वर्णित दरों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।
16	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	पूर्व अधिकारियों की सेवाएं अलर्ट की जांच/लेनदेनों पर निगरानी, एसटीआर प्रस्तुत करने एवं अन्य सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त की जाएंगी। उनको सीबीएस में पोस्टिंग और लेनदेन को पारित करने का एक्सेस प्रदान नहीं किया जाएगा। केस प्रबंधकों के केआरए निम्नानुसार हैं: • एसटीआर का प्रभावी विश्लेषण, रिपोर्टिंग और जनरेट करना जो इनकी सत्यता एवं पूर्णता के लिए आगे बढ़ाए गए हैं। • बैंक में एमएल-सीएफटी कार्य के लिए प्रभावी संप्रेषण, जागरूक करना और इसके संबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिसूचना प्राप्त करना • प्रभावी निगरानी, प्रबंधन और आंतरिक एवं बाहरी स्टेकहोल्डरियों को अनुपालन से संबद्ध मुद्रे रिपोर्ट करना • एमएल/सीएफटी कक्ष और अन्य परिचालन इकाइयों में अनुशासन/समयपालन एवं आचरण • सौंपे गए कार्यों को समय पर पूरा करना, टीम और एमएल/सीएफटी कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करना तथा समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना • कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स के अनुसार केस प्रबंधक को न्यूनतम 15 व्यक्तिनिष्ठ और 35 अलर्ट आधारित एसटीआर, महीने में कुल 50 एसटीआर अलग अलग या कुल मिलाकर आगे बढ़ाने हैं। यह न्यूनतम है जिसे जरूरत के अनुसार किसी भी समय बढ़ाया जा सकता है। • केस प्रबंधक और पर्यवेक्षकों द्वारा आगे बढ़ाए गए एसटीआर का सत्यापन करना सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय पर सौंपा गया अन्य कोई कार्य। टिप्पणियां: ऊपर उल्लिखित भूमिकाएं/जिम्मेदारी निर्दर्शी हैं। उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त बैंक द्वारा समय-समय पर अन्य भूमिका/जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
17	अनुशासन आचरण / समय पालन	सेवानिवृत्त अधिकारी से अपेक्षा है कि वह एमएल-सीएफटी कक्ष के लिए लागू मानदंडों के अनुसार अनुशासित रहेगा और समय का पालन करेगा, साथ ही कक्ष में कार्य के दौरान उचित आचरण करेगा। किसी भी सेवानिवृत्त स्टाफ से नियुक्ति के लिए और चयन के बाद किसी प्रकार का बाहरी दबाव लाने की अपेक्षा नहीं की जाती है और उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे एमएल-सीएफटी कक्ष के स्थानीय प्राधिकारियों को अपने मुद्दों को बताए बिना बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ सीधे ऐसे मुद्रे नहीं उठाएंगे।
18	पदनाम	पूर्व-अधिकारी, जहां आवश्यक हो, केस प्रबंधक - एमएल/सीएफटी के रूप में अपने पदनाम का उपयोग कर सकते हैं। सभी नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को उचित फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिसमें एचआरएमएस सं., नियुक्ति की संक्षिप्त जानकारी तथा वैधता अवधि का उल्लेख किया जाएगा।
19	कार्य समय	सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यरत अधिकारियों के लिए लागू सामान्य कार्य समय या एमएल/सीएफटी कक्ष की जरूरत के अनुसार समय का पालन करेंगे, जो सौंपे गए कार्य को पूरा करने के अधीन होगा।

#### ख. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर/ सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. कोई कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी.

#### ग. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों की सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए. इससे उन्हें अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी.

#### ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश:

- i. उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.
- ii. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिन्ट आउट लें।
- iii. उम्मीदवार सर्वप्रथम अपना नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करें. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवार 'दस्तावेज कैसे अपलोड करें' के अंतर्गत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर देता/देती. उम्मीदवार आवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. आवेदन पूरी तरह से भरने के बाद ही उम्मीदवार इसे सबमिट करें. यदि एक बार में उम्मीदवार आवेदन नहीं भर पाता है, तो वह पहले से प्रविष्ट जानकारी को सेव कर सकता/सकती है. जब जानकारी/आवेदन को सेव किया जाएगा तो एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड सिस्टम द्वारा बन कर आ जाएगा और यह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. उम्मीदवार इस पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को अपने पास लिख कर रखें लें. वे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए आवेदन को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण संपादित कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि सहेजी गई जानकारी को संपादित करने की यह सुविधा केवल तीन बार उपलब्ध होगी. एक बार आवेदन पूरी तरह से भर जाने के बाद, उम्मीदवार को इसे सबमिट करना चाहिए.

#### घ. प्रलेखों को अपलोड कैसे करें:

##### अ. अपलोड किए जाने वाले प्रलेखों का विवरण:

- i. नवीनतम फोटोग्राफ
- ii. हस्ताक्षर
- iii. पिछले 10 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त विवरण (असाइनमेंट के अनुसार विवरण) (पीडीएफ)
- iv. पहचान का प्रमाण (पीडीएफ)
- v. जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)
- vi. जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- vii. कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)

##### ब. फोटोग्राफ फाइल प्रकार/आकार:

- i. फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए.
- ii. फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी और डायमेंशन 200X230 पिक्सल (अधिमानत:) तक होना चाहिए.
- iii. यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.
- iv. शांत चेहरे से सीधे कमरे की तरफ देखें.
- v. फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई छाया न पड़े.
- vi. यदि आपको फलैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें 'रेड आई' नहीं है.
- vii. यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
- viii. टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.
- ix. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, कलर संख्या आदि के लिए स्कैनर की सेटिंग बदले.

##### स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार:

- i. आवेदक सफेद कागज पर काली स्थाही के पैन से हस्ताक्षर करें.
- ii. हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे कोई दूसरा हस्ताक्षर न करें.
- iii. कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां हस्ताक्षर करें.
- iv. फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच का हो और डायमेंशन 140X60 पिक्सल (अधिमानत:) हो.
- v. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है.
- vi. अंग्रेजी के केपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

##### द. प्रलेख की फाइल का प्रकार/आकार:

- i. सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में हों.
- ii. प्रलेख के पेज का आकार ए4 का हो.
- iii. फाइल का आकार 500 केबी से अधिक नहीं हो.
- iv. प्रलेख को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिजोल्यूशन, कलर की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए प्रलेख साफ और पढ़े जाने योग्य हैं.

##### य. फोटो/हस्ताक्षर/प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

- i. स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स पर इन्च) पर रखें.
- ii. कलर को ट्रू कलर पर सेट करें.
- iii. फोटो/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके फोटो को स्कैन करें फिर फोटो को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
- iv. फोटो/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे)
- v. इमेज के आयाम फोल्डर/फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयकॉन पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है
- vi. जो उम्मीदवार एमएस विन्डोज़/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फार्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसके लिए एमएस पैन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फार्मेट से जेपीजी (jpg) फार्मेट में सेव किए जा सकते हैं. इसके लिए फाइल मेन्यू में 'सेव ऐज' के विकल्प का प्रयोग करना होगा. इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज़ (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्सल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है. इसी तरह से अन्य फोटो एडीटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं.
- vii. ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके.

##### र. प्रलेख अपलोड करने की प्रक्रिया:

- i. प्रत्येक प्रलेख को अपलोड करने हेतु अलग से लिंक दिए जाएंगे. "अपलोड" का संबंधित लिंक क्लिक करें.
- ii. ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ फाइल को सेव किया गया है.
- iii. फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें.
- iv. आवेदन सबमिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटी का संदेश आएगा.
- v. प्रलेख अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/परिवर्तित नहीं हो सकेंगे.
- vi. ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद उम्मीदवार जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं. फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/सकती है. फोटो पर चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.

#### ड. सामान्य जानकारी:

- i. पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्त वर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/करती है और कि उसके द्वारा प्रस्तुत व्यौरा सभी प्रकार से सही है.
- ii. उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिस्केनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर हैवी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. यदि पूर्वोंक्त कारणों से यदि एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.
- iii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, वैसे उम्मीदवार जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है, अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों.
- iv. नियुक्ति की किसी भी अवस्था में यदि ऐसा पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो और/या यह कि उसने गलत/झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (रियां) छिपाई हैं तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसके नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
- v. आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और सही एवं पूरी तरह से भरा गया है.
- vi. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने के अधीन है.
- vii. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल को सक्रिय रखें.
- viii. किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
- ix. चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियोजन प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें. (यदि लागू हो)
- x. पात्रता, साक्षात्कार अन्य परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया संबंधी के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा.
- xi. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है.
- xii. पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं है. बैंक के पास उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच/शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उचित संख्या में ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार सुरक्षित है.
- xiii. कई आवेदन होने की स्थिति में, अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन को ही रखा जाएगा. साक्षात्कार में एक पद के लिए एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति को सरासरी तौर पर पूर्णतः अस्वीकृत कर दी जाएगी/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
- xiv. इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही मात्र मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल व एकमात्र अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा.
- xv. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा. बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है. बैंक ऐसे प्रकटीकरणों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

यदि कोई पूछताछ करनी हो, तो कृपया "CONTACT US" इस लिंक पर हमें लिखें जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

(URL - <https://bank.sbi/careers> या <https://sbi.co.in/careers>)

प्रिंटिंग में यदि कोई त्रुटि हो, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.  
विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा.

महाप्रबंधक

मुंबई<sup>1</sup>  
दिनांक: 26.06.2023